15 (5)

सं0 /IV(2)-श0वि0–11–05(एन0यू0आर0एम0)/08

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक–15 जून, 2011

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत देहरादून शहर के 16 चौराहों के सुधार हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–798/जेएनएनयूआरएम/पीडब्लूडी–देहरादून/2011–12, दिनांक 16 मई,2011 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 59(1)/P.F.–1/2008–487 दिनांक 11 फरवरी,2009 द्वारा देहरादून शहर के 30 चौराहों के सुधार हेतु रू0 2943.00 लाख की डी0पी0आर0 संस्तुत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 588.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्तानुसार अवमुक्त किए गए केन्द्रांश रू0 588.60 लाख व इस धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत राज्यांश रू0 147.15 लाख की धनराशि सहित कुल रू0 735.75 लाख की धनराशि व्यय हेतु शासनादेश सं0–भा0स0 65/IV-श0वि0–09–05 (एन0यू0आर0एम0)/08 दिनांक 20 मार्च,2009 द्वारा अवमुक्त की गयी है। उक्त डी0पी0आर0 में भूमि की लागत सम्मिलित न होने के कारण लो0नि0वि0 द्वारा 30 चौराहों के स्थान पर 16 चौराहों के सुधार हेतु रू0 2943.00 लाख की पुनरीक्षित डी0पी0आर0. तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गयी, जिस पर सीएसएमसी की दिनांक 17 फरवरी,2011 को सम्पन्न बैठक में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में 80 प्रतिशत कुल केन्द्रांश के सापेक्ष 20 प्रतिशत कुल राज्यांश में से अवशेष रू0 441.45 लाख (रू0 चार करोड इकतालीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित **कार्यदायी संस्था मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **योजनान्तर्गत कुल राज्यांश के सापेक्ष उक्तानुसार अवशेष राज्यांश की धनराशि इस आशय से अवमुक्त की जा रही है कि इस धनराशि के विपरीत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले**

केन्द्रांश को शीघ्र प्राप्त कर योजना को समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगाा।

3. भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
4. निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
5. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।
7. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
9. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
11. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
12. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार

को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

13. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

14. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 199/XXVII(2)/2011, दिनांक 13 जून,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0 आ-ब्रि-98 /IV(2)-श0वि0–11–05(एन0यू0आर0एम0)/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) /महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्रीजी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।